

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/के-1228/1992/अलेसे-III/ 794

दिनांक :- 13-9-2023

कार्यालय आदेश

श्री खुशवन्त पाटीदार, कनिष्ठ लेखाकार (लिनक नं. 10514) को निदेशालय के आदेश सं. 621/2022-23 दिनांक 26.08.2022 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कोषालय, बांसवाड़ा किया गया था। श्री खुशवन्त पाटीदार को निलम्बित हुए 06 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री खुशवन्त पाटीदार द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2023 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम 53(1) के अनुसरण में श्री खुशवन्त पाटीदार, कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की नियमानुसार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त निदेशक महोदय के स्तर से अनुमोदित हैं।

(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/के-1228/1992/अलेसे-III/ 794
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक :- 13-9-2023

1. कार्यालय कोषाधिकारी, बांसवाड़ा।
2. कोषाधिकारी, डूंगरपुर।
3. उपकोषाधिकारी, सागवाड़ा, डूंगरपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।
7. श्री खुशवन्त पाटीदार, कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित) कार्यालय कोष कार्यालय बांसवाड़ा।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)